

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या—9 / उपांकीट०अनु०—२३ / ०७ (खण्ड—I —) प्रेषक,

/ कृ०, पटना, दिनांक

, 2014.

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री राजीव शरण,
मेसर्स गोदरेज एग्रोवेट लि०,
303, बी० सुकृति कम्पलेक्स,
एस० पी० वर्मा रोड, पटना।

१७३३

२८.११.१५

विषय :— कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या—१५३ दिनांक १५.०२.२००८ वैद्यता तिथि ३१.१२.२०१४ में इंडोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नांकित कम्पनियों के कीटनाशियों का इंडोर्समेन्ट अनुज्ञप्ति संख्या—१५३ दिनांक १५.०२.२००८ वैद्यता तिथि ३१.१२.२०१४ तक में किया जाता है।

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	क्र०सं०	कीटनाशी का नाम
1	मेसर्स एग्रो लाईफ सार्न्स कॉर्पोरेशन	1	Emamectin Benzoate 5% SC
		2	Imidacloprid 17.8%
		3	Pretilachlor 5% EC
		4	Glyphosate 41% SL
		5	Buprofenzin 25% SC
		6	Fipronil 5% SC
		7	Hezaconazole 5% SC
2	मेसर्स सरस्वती एग्रो केमिकल्स इण्डिया प्रा० लि०	1	Fenoxaprop-p-ethyl 9.3% EC
		2	Tebuconazole 25.9% EC
3	मेसर्स बायोस्टाइ इण्डिया लि०	1	Hexythiazox 5.45 % EC
4	मेसर्स मार्डन पेपर	1	Imidacloprid 17.8% SL
		2	Hexaconazole 5% SC
		3	Pendimethalin 30% EC
		4	Lambda Cyhalothrin 5% EC
		5	Propiconazole 25% EC
		6	Tricyclazole 75% WP
		7	Pretilachlor 50% EC
		8	Lambda Cyhalothrin 4.9% C.S
5	मेसर्स कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्रा० लि०	1	Metrabuzin 7% WP

2—उपरोक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:—मेसर्स गोदरेज एग्रोवेट लि०, C/O सावित्री देवी, श्री चितरंजन प्रसाद, आदितीय आकेट कम्पाउन्ड, रामकृष्णा नगर, पटना।

3—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4—अनुज्ञाप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विएवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7—नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से विक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8—अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।


विश्वासभाजन,
हॉ/—
(धर्मेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ५०३९

/कृ०, पटना, दिनांक 15/11/2014

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।